

लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

१४[॥] २५ पत्रावली पैरा हुई। वकील सायल उप।
 वकील सायल मुकदमा मे चलाना नहीं
 चाहते हैं इसलिए मु. नं. २५०/२०२३ उनका
 भरतराम बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम
 लिमिटेड का वावत स्पष्ट निवेदन जा &
 नोट तैयार में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली में कमल कुमार ठोस बाद
 वकील नं. से कम की जाहद दाखिल
 करत हो।

आदेश खुले सायलव में
 सुनाया गया।